

सिंधिया की कांग्रेस में वापसी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान, सिंधिया हलचल तेज

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराज रमेश ने बुधवार को कहा कि सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई-बीडियों को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि वह उनकी निजी राय है। उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करना भी शर्मनाक होगा। रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में बने रहे लोग वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी को फिर से मजबूत देखा चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ युवा नेताओं ने सत्ता और संगठन में लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी तथा ऐसी पार्टी का रुख किया जिसमें विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 226 ● नई दिल्ली ● वीरवार 25 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनापारिक गौता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

6000 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट करने के लिए ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैम्पेन शुरू होगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैम्पेन की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर मादक पदार्थ निर्व्यंजन पर विज्ञान डॉक्यूमेंट (2026-2029) और एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट-2025 भी जारी होगी।

इसके अलावा गृह मंत्री, जम्मू और गुवाहाटी में एनसीबी के जूनियर कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित यह बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के विज्ञान को साकार करने के सरकार के प्रयासों को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह बैठक इंडिपेंडेंट मॉड में 44 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राय सरकारों और ड्रग्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी।



केन्द्र सरकार के संबन्धित विभागों, मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया यह विज्ञान डॉक्यूमेंट, ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करेगा। इस रोडमैप में नेटवर्क-केन्द्रित प्रवर्तन अप्रोच की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इसमें अगले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स के जुरिए होने वाली तस्करी की चुनौतियों से निपटने, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने, और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए इलाज

व पुनर्वास केंद्रों की पहुँच बढ़ाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। इन्हें समन्वित और निरंतर तरीके से लागू किया जाएगा। यह दस्तावेज सभी हितधारकों की जिम्मेदारियों, समय-समय पर एव लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, प्रवर्तन, मांग में कमी, पुनर्वास, जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय को एकीकृत करता है। यह विज्ञान डॉक्यूमेंट देश भर में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए नीति बनाने, उसे लागू करने और संस्थागत मजबूती लाने के काम में एक मार्गदर्शक रूपरेखा के तौर पर काम करेगा। ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैम्पेन, नशीले पदार्थों को नष्ट करने

का एक विशेष अभियान है। इस पखवाड़े के दौरान, देशभर में अलग-अलग केन्द्रीय और राय कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जाने की उम्मीद है, जिनकी कीमत 76,000 करोड़ रुपये बताई गई है। यह बैठक देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए सभी सम्बन्धित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सहभागी रायों, विभागों एवं एजेंसियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी निर्व्यंजन का लक्ष्य हस्तिल करने के लिए नए उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने देश में मादक पदार्थों की समस्या से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए सरकार का समग्र दृष्टिकोण, इस तरह की अप्रोच की आवश्यकता पर बल दिया है। यह उच्च-स्तरीय बैठक आगामी तीन वर्षों में देशभर में मादक पदार्थ तस्करी एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने से संबन्धित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

दिल्ली में बच्ची से रेप-हत्या, आरोपी को गोली मारी

नई दिल्ली। दिल्ली में 11 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या का आरोपी मंगलवार रात पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि उसे क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। रोकने के लिए उसे पैर में गोली मार दी गई। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित बच्ची गुन्बारा बेचती थी। सोमवार सुबह फुटपाथ पर सो रही थी। आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर बचलू ने उसे आगवा किया। उसका रेप किया और हत्या कर लाश महरौली के जंगल में फेंक दी। सोमवार सुबह करीब 6 बजे परिवार ने पीसीआर कॉल के जरिए महरौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से चार घंटों में ही बचलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया। पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को पृष्ठताछ में बताया कि सड़क से गुजरते समय उसने सीडीआर चौक

पुलिस का दावा- भागने की कोशिश कर रहा था; अस्पताल में भर्ती

के पास फुटपाथ पर बच्ची को सोते हुए देखा था। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर महरौली के जंगलों में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार फुटपाथ पर ही सोता था। बच्ची गुन्बारे बेचती थी, जबकि माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। परिवार में चार बच्चे हैं, जिसमें ये 11 साल की बच्ची भी शामिल थी। महरौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था। गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो घर खाली करना पड़ा। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर ही रहने लगा था। वहीं, एप बेस्ट कैच चलाने वाला आरोपी ड्राइवर भी बिहार का ही रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ केस दर्ज हैं।

कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में तापसी शर्मनाक होगा- जयराम रमेश का बड़ा बयान

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराज रमेश ने बुधवार को कहा कि सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई-बीडियों को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि वह उनकी निजी राय है। उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करना भी शर्मनाक होगा।

रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में बने रहे लोग वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी को फिर से मजबूत देखा चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ युवा नेताओं ने सत्ता और संगठन में लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी तथा ऐसी पार्टी का रुख किया जिसकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है। यह पूछे जाने पर कि योतिराज सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा सरीखे नेता भविष्य में कांग्रेस में वापसी की कोशिश करते हैं तो क्या उन्हें वापस लेना चाहिए, तो रमेश ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग सत्ता और संगठन में विभिन्न पदों रहते हुए लाभ उठाने के बाद, पार्टी के

सबसे बड़े लाभार्थी होने के बावजूद पार्टी छोड़कर चले गए, उनके लिए वापस आने पर विचार करना भी हमारे लिए शर्मनाक होगा। उनका कहना था, एक बात निश्चित है कि पिछले 12 वर्षों ने यह साबित कर दिया है कि कौन लोग वास्तव में दृढ़ संकल्प वाले और संघर्षशील हैं। आज कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, वे वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से गहरी से जुड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी फिर से मजबूत हो। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष रूप से वे युवा लोग, जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया, पदों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाया, पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं, उन्होंने पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना था, क्या उन्हें वापस लिया जाना चाहिए? मैं इस बारे में आंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यह मेरी निजी राय है। पिछले कुछ वर्षों में योतिराज सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरोपीएन सिंह जैसे कई ऐसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कभी कांग्रेस में प्रमुख चेहरे और रहलू गांधी के करीबी के रूप में देखे जाते थे।

भ्रष्टाचार पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों पर दिए जांच के आदेश



नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की केन्द्रीय खरीद एजेंसी के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं की तत्कालीन महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और लेखा उप-नियंत्रक नीरज चोपड़ा की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। जारी बयान में कहा गया है कि अब तक इस मामले के संबंध में केन्द्रीय खरीद एजेंसी के प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को

निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया है। खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और सरकारी खजाने को हार वित्तीय नुकसान के आरोपों की जांच चल रही है। इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए और मामले की नियमित समीक्षा और निगरानी का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस (शून्य-सहिष्णुता) की नीति पर काम करती है। जनता की मेहनत को कमाई के हर पैसे की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी

भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच, ड्रग्स साइड की गई एक अलग जानकारी में, मुख्यमंत्री ने 2.70 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। आज कैबिनेट की बैठक में हमने दिल्ली के 2.70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम से लगभग 10 लाख लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। हर वर्कर को 2 लाख रुपये तक और एक परिवार को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें सालाना हेल्थ चेक-अप, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24x7 हेल्पलाइन और अद्वैत हेल्थ सर्विस शामिल हैं। एक्स पर आगे कहा गया, दिल्ली को बनाने वाले वर्कर भाई-बहनों को अब बीमारी की चिंता में अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार उनके परिवारों की सेहत से ज़िम्मेदारी उठाएगी। अपनी मेहनत से राजधानी के सपनों को साकार करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और सेहत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

दिल्ली में उधार लिए 150 रुपये न देने पर किशोर की चाकू मारकर हत्या, 3 नाबालिग दबोचे

नई दिल्ली। तीन नाबालिगों ने तिलक नगर इलाके में एक 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह यह थी कि युवक ने उनमें से एक से उधार लिए 150 रुपये लौटाने से इंकार कर दिया था। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर आरोपितों को पकड़ लिया है। पीड़ित पारस को 21 जून को रात हमले में कई चाकू के घाव लगे थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, नाबालिगों ने घटना वाली रात रुपये के विवाद को लेकर पारस को धेर लिया था। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स होने के बाद वह मौके से भाग गया लेकिन तीनों ने लगभग 12-15 बजे रात फिर से उसे ढूँढ निकाला और हमला कर दिया। हमले के दौरान एक नाबालिग ने बार-बार चाकू से पारस को गोदा। पुलिस को पीड़ित की बहन से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें उसने बताया कि उसके भाई को चाकू मार दिया गया है और उसे दीप दयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल के पास खून के निशान पाए। पीड़ित की बहन ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई को घर के पास घायल और बेहोश हालत में पड़ी हुई पाई थी।

तमिलनाडु की 152 मेडिकल सीटों पर अदालत सख्त, राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। तमिलनाडु में सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल की 152 खाली इन-सर्विस सीटों को ऑल इंडिया कोटे में सरेंडर किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस मामले पर केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर सरकारी डॉक्टर उच्च चिकित्सा कौशल हासिल करते हैं तो वे निजी डॉक्टरों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को



बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं। इस मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राय की 152 खाली इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी सीटों को ऑल इंडिया कोटे में स्थानांतरित न किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सीटों को तीसरे दौर या मॉप-अप काउंसिलिंग तक राय के इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सरकारी डॉक्टर इन सीटों का लाभ उठा सकें। जस्टिस बी. वी. नागरा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन-सर्विस डॉक्टरों

की श्रेणी अलग होती है, क्योंकि ये डॉक्टर एक साथ सेवा भी दे रहे होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि सरकारी डॉक्टर विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो इसका सीधा लाभ सरकारी अस्पतालों और आम मरीजों को मिलेगा। अदालत ने इसी आधार पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कुल 430 सुपर स्पेशियलिटी सीटें

काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध थीं। इनमें से 215 सीटें सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए आरक्षित थीं। हालांकि, काउंसिलिंग के दूसरे दौर तक केवल 63 सीटें पर ही दाखिला हो सका, जबकि 152 सीटें खाली रह गईं। अब इन सीटों को ऑल इंडिया कोटे में भेजे जाने की आशंका है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि दूसरे चरण की ऑल इंडिया काउंसिलिंग पूरी होने तक इन सीटों को सरेंडर करने पर रोक लगाई जाए।

भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ला जिला बंदर, आधा दर्जन मुकदमों के इतिहास पर एडीएम कोर्ट का फैसला



देवरिया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित एवं राजस्व) की कोर्ट से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व भाजपा नेता का रहा है लंबा आपराधिक इतिहास

तोड़फोड़ और धमकी देने के संगीन आरोप में कोतवाली में मुकदमे कायम हुए। इसके अलावा वर्ष 2021 में सख्त अधिनियम और हाल ही में वर्ष 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दी गई रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने पाया कि उनकी समाज में सक्रियता शांति व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है। जारी आदेश के तहत राधेश्याम शुक्ला को देवरिया जनपद की भौगोलिक सीमाओं से अगले छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन अवधि के दौरान उन पर प्रशासनिक निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही, आदेश में यह अनिवार्य शर्त लगाई गई है कि उन्हें प्रत्येक महीने की 3 और 27 तारीख को संबंधित कोतवाली थाने में उपस्थित होकर अपनी हालिरी दर्ज करानी होगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया या जनपद की सीमा में अनधिकृत प्रवेश पाया गया, तो उनके विरुद्ध तत्काल नई कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर स्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित एवं राजस्व) की न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत शहर के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ला को छह माह के लिए जिला बंदर कर दिया गया है। पुलिस महकमे की रिपोर्ट और लंबे आपराधिक इतिहास के मूल्यांकन के बाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस आदेश के बाद से ही स्थानीय मियामत और आपराधिक तत्वों में हड़कंप का माहौल है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के मेहड़ा पुरवा निवासी राधेश्याम शुक्ला (पुत्र चंद्रमान शुक्ला) के खिलाफ पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2008 में गौरीवाजार थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वर्ष 2010, 2013 और 2018 में रंगदारी, मारपीट, घर में घुसकर

महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मेधावी छात्रों और छात्राओं को किया गया पुरस्कृत

गोरखपुर।

गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में आयोजित 24 जून को गोंडवाना कि गोंड विरांगना महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर मूलनिवासी आदिवासी आगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शंकर गोंड जी ने गोंड, धुरिया समाज के तथा सामाजिक संस्था और शासन व प्रशासन के पदाधिकारियों को नियंत्रण पत्र दिया गया था और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मेधावी छात्रों और छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शंकर गोंड जी ने मुख्य वक्ता के तौर पर कहा कि धुरिया गोंड अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के तमाम शासनादेश आदेश निर्देश तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी जिला के शासन प्रशासन कि हिला हवाली को अब निर्णायक रूप दिया जाएगा जिसका सोपान है संगठित होना तथा अपने कागजात सबूत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना तथा



अपनी रूढ़ी परम्परा के प्रति जागरूकता अभियान जारी करना है। मंच का संचालन कर रहे शुभम गोंड जी ने कड़े शब्दों में कहा कि महारानी दुर्गावती जी के बलिदान से यह सिख मिलता है कि हमें अपने आन बान शान के अपने समाज के हित में यदि प्राण लेना हो या स्वयं आत्म बलिदान कि बात आये तो पीछे नहीं हटना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए किसी के बहकावे में नहीं बल्कि

अपने सगे संबंधियों के साथ संगठित होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग कि जागरूकता में सहभागीता निभाएं और निरन्तर विकास कि ओर कार्य करते रहे। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष और विधि सलाहकार एडवोकेट दिनेश चन्द्र गोंड जी ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि गोंडवाना कि गोंड विरांगना महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस 24 जून को ही प्रदेश स्तर पर

हर वर्ष मनाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के गोंड समाज के उत्थान के लिए निवासगत समाज के प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित होकर सहभागिता करें और संस्था द्वारा जनगणना फार्म को भरें तथा जमा करें और समाज के लोगों को जोड़ने में उत्थान में देश के विकास में सहयोग करें और इस जन-जागरूकता में सहभागी बनें। मुख्य अतिथि राकेश गोंड जी ने कहा कि धुरिया गोंड समाज कि जागरूकता के लिए रूढ़ी परम्परा के तहत आगामी सवनहै पुजा और विश्व आदिवासी दिवस पर सभी लोगों को आने का संदेश दिया। शिवशंकर गोंड राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम गोंड, दिनेश चन्द्र गोंड एडवोकेट राकेश जी, योगेश गोंड प्रधान जी, भोला गोंड शुभम गोंड मेहरा, मुन्ना गोंड पूर्व प्रधान प्रत्याशी, राजू गोंड, सुरज गोंड, दीपक गोंड, डिग्री प्रसाद गोंड, सुरेंद्र प्रसाद, अश्विनी, दुर्गेश, सुरेश, प्रशान्त कुमार, धुरिया गोंड अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे।

मुख्य सेविकाओं की कार्यक्षमता जांचने को कलेक्टर में परीक्षा, डीएम ने खुद परखा ज्ञान

देवरिया।

बाल विकास एवं पुष्पहार विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठे प्रशासनिक प्रयोग किया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर बुधवार को कलेक्टर सभागार में जनपद में तैनात सभी 71

मुख्य सेविकाओं की क्षमता संवर्धन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के माध्यम से मुख्य सेविकाओं को विभागीय योजनाओं, गतिविधियों और नियमों पर आधारित एक विशेष प्रश्नावली दी गई, जिसके आधार पर उनकी कार्यक्षमता और ज्ञान का धरातलीय मूल्यांकन किया गया। प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी

कार्यकर्तियों के कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। परीक्षा के नतीजों के आधार पर इन मुख्य सेविकाओं के लिए एक विशेष कैम्पेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन) प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन्हें फ़ैल्ड में आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रभावी निरीक्षण, गृह भ्रमण के तौर-तरीकों, वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण) सत्रों को सुदृढ़

करने तथा सहयोगी पर्यवेक्षण के लिए नए सिरे से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण अंचलों में मातृ-शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके और कुपोषण के खिलाफ जंग को गति मिले। सभागार में मुख्य सेविकाओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि परीक्षा और प्रशिक्षण विभागीय कार्यप्रणाली को धार देने का एक सशक्त माध्यम है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

कुशीनगर।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चंदा एवं चढ़ावे की धनराशि में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े समाचारों के सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यदि चढ़ावे और चंदे की धनराशि के दुरुपयोग, गबन अथवा चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं तो यह न केवल गंभीर आपराधिक मामला है, बल्कि



करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं के साथ भी अन्याय है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पूरे प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही

मंदिर में प्राप्त चंदा एवं चढ़ावे के लेखा-जोखा का स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पारदर्शी वित्तीय निगरानी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास और आस्था अक्षुण्ण बनी रहे। इस अवसर पर मुहम्मद जहीरुद्दीन, संजय कुमार शाही, राज कपूर राय (एडवोकेट), धनंजय सिंह, सरोज कुमार गौतम, सुरेंद्र सिंह, गोरख यादव, पलटन यादव, अंगद चौहान, जे.एन. सिंह, स्वामीनाथ यादव, आर्यन, आफताब आलम, अब्दुल हमिद अंसारी, मुस्लिम अंसारी एवं राजू कुशवाह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सात दिन से लापता युवक का नर कंकाल मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

कुशीनगर। हटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गौदहा धनह में सड़क किनारे सरपत (झंकार) में एक युवक का नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच कर हड्डी अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मंगलवार 24 जून को ग्रामवासियों ने सूचना दी कि साधु शाही भट्टे के सामने सड़क किनारे सरपत में एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान योगेश कुमार पुत्र राम प्यारे निवासी गौदहा धनह, थाना हटा के रूप में हुई। शव पूरी तरह नर कंकाल की अवस्था में था। परिजनों ने मृतक की पहचान उसके चप्पल और गमछे के आधार पर की। पुलिस ने बताया कि मृतक के सभी हड्डी अवशेषों को पीएम किट में सुरक्षित

रखकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस रविंद्र नगर भेज दिया गया है। बताया गया कि मृतक के पिता राम प्यारे ने 22 जून को हटा थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र योगेश कुमार 17 जून से घर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका था। इस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण की हर पहलु से जांच कराई जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी अभिरक्षा में

कुशीनगर। सेवरही थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने और डांस करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 22 जून 2026 को रात शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर हुई मारपीट के दौरान सुजीत चौहान पुत्र अमन चौहान निवासी बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना सेवरही पर मुकदमा संख्या 148/2026 धारा 191(2), 191(3), 103(1) एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने रहल गोंड पुत्र शम्भू गोंड, गोलू रैनियार पुत्र मनगौं रैनियार, ज्योति चौहान उर्फ अजीत चौहान पुत्र स्वर्गीय किशुन चौहान तथा दिनेश कुमार उर्फ धनंजय चौहान पुत्र दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी थाना सेवरही क्षेत्र के निवासी हैं। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है, जबकि बाल अपचारी के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक आकाश सिंह, उपनिरीक्षक अनिल शर्मा, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, कांस्टेबल धर्मेन्द्र यादव तथा कांस्टेबल अमित सिंह शामिल रहे।

सिवनी मालवा प्रकरण में 14 गौसेवकों को राहत देने की मांग

महाराजगंज।

सिवनी मालवा प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए 14 गौसेवकों को राहत दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मानवीय एवं संवैधानिक आधार पर मामले में पुनर्विचार करने और अनुच्छेद 161 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई का अनुरोध किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विशाल पुष्कर ने कहा कि सिवनी मालवा प्रकरण में 14 गौसेवकों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना देशभर के गौभक्तों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौसेवा की सेवा, करुणा एवं लोककल्याण का प्रतीक माना गया है। इस प्रकरण में



दोषसिद्ध व्यक्तियों के परिवारों पर सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ज्ञापन में कहा गया कि न्याय व्यवस्था के प्रति पूर्ण सम्मान रखते

राष्ट्रीय बजरंग दल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

हूए हमारा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण पर मानवीय एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार किया जाए। भारतीय संविधान में दया, क्षमा, दंड-त्वचुकरण, दंड-परिवर्तन तथा समयपूर्व रिहाई जैसे विषयों के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोषसिद्ध व्यक्तियों को राहत देने की शक्ति देता है। समय-समय पर विभिन्न राज्यों में इस प्रावधान का उपयोग करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।

विशाल पुष्कर ने मांग की कि सिवनी मालवा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का निष्पक्ष, न्यायोचित एवं मानवीय आधार पर पुनः परीक्षण कराया जाए। दोषसिद्ध व्यक्तियों के आचरण, सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियों और कारावास के दौरान उनके व्यवहार सहित सभी तथ्यों का मूल्यांकन किया जाए। यदि विधिसम्मत पाया जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के समक्ष आवश्यक अनुशंसा भेजी जाए। इस दौरान सोनू आचार्य, सचिन पाण्डेय, आदर्श सनातनी, सत्यदेव उर्फ सत्या, सुरज तिवारी, अविनाश प्रजापति, शुभम मिश्रा, कृष्णमोहन मलेशिया, विजय सैनी, अतुल मणि त्रिपाठी, सदर ब्लॉक अध्यक्ष अरुण सनातनी, मिठौरा ब्लॉक अध्यक्ष अंकुर चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

